आदेश

ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण सत्र–2025 के अन्तर्गत दिनांकः 30.04.2025 तक समयावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप **समस्त अजनपदीय मुख्यालयों/शाखा/इकाई उ0प्र0** के माध्यम से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित **पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)** को तात्कालिक प्रभाव से उनके नियुक्ति स्थान **(कालम–6)** से नाम के सम्मुख अंकित स्थान **(कालम–7)** में स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के **कार्यवृत्त सूची संख्या–एएसपी–(ई–1)–(समयावधि)–276/2025 दिनांकः 15–06–2025** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा हैः–

क0सं0	पदनाम	पीएनओ	कर्मी का नाम	गृह जनपद	कहां से	कहां को
1	2	3	4	5	6	7
1	उपनिरीक्षक गोपनीय	121040015	ऊषा यादव	एटा	डां0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद	मुख्यालय के आदेश संख्याः डीजी–चार–स्था0–(425)/2023 दिनांकः 26.06.2023 के द्वारा **समयावधि** के आधार पर आगरा जोन किया गया स्थानान्तरण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांकः 25.11.2020 के आलोक में उक्त स्थानान्तरण आदेश को 01 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा कियान्वयन न होने के कारण निरस्त करते हुए **बरेली जोन।**
2	उपनिरीक्षक गोपनीय	120630024	पूनम सिंह	जालौन	33वीं वाहिनी पीएसी झांसी	मुख्यालय के आदेश संख्याः डीजी–चार–स्था0–(481)/2024 दिनांकः 18.07.2024 के द्वारा **जनहित समायोजन** के आधार पर आगरा जोन किया गया स्थानान्तरण अब तक कियान्वयन न होने के कारण निरस्त करते हुए **प्रयागराज जोन।**

1– उपरोक्त कर्मियों में से यदि कोई कर्मी नियुक्ति कमिश्नरेट/जनपद से स्थानान्तरित जोन/परिक्षेत्र/ जनपद/इकाई हेतु कार्यमुक्त हो गया हो अथवा स्थानान्तरित जोन/परिक्षेत्र/जनपद/इकाई में आगमन करा लिया गया हो तो उस पर यह आदेश प्रभावी नही होगा।

2– यदि उपरोक्त कर्मियों में से कोई कर्मी पदोन्नति प्राप्त कर चुका हो तो उसके पी0एन0ओ0 नम्बर के आधार पर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, यदि पी0एन0ओ0 नम्बर में भिन्नता हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराये।

3– पी0ए0सी0/एस0एस0एफ0 वाहिनी/अजनपदीय इकाई आवटिंत करते समय मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी–चार–स्था0(निर्देश)/2017/900 दिनांकः 22.06.2017 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाये।

4– उपरोक्त कर्मियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते है तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-276-2025/701 DT 15-06-2025

15/6/25
(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना)
निमित्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) टावर–2, चतुर्थ तल, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ–226002

संख्याः डीजी–चार–स्था0–(276)/2025/701 **दिनांकः लखनऊः जून, 15 ,2024**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– **अपर पुलिस महानिदेशक**– डां0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद **सेनानायक**– 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को 10 दिवस के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2– **पुलिस आयुक्त– कमिश्नरेट**– बरेली जोन/प्रयागराज जोन/वाराणसी जोन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3– **अपर पुलिस महानिदेशक**– पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।